van and LV indicator and what is the percentage date wise of such trains?

THE MINISTER Ol RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Information is being collected and will be laid on the table ol the Sabha.

introduction of Rajdhani Express upto Guwahati

6800, SHRI BHADRESWAR GOHAIN: Will the Minister ol RAILWAYS be pleased to state-fa) what are the reasons for not introducing the Rajdhani Express to Guwahati till to date even after making a formal announcement during the Budget speech in Parliament;

(b) whether it is also a fact that in the proposed Rajdhani Express food would not be served as in other Rajdhani Express trains running in the country: and

(c) what are the reasons tor this apalthy towards the North East Region?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) The New Delhi-Guwahati Rajdhani Express will be introduced w.e.f. July 94 Time Table, when the maintenance facilities at Guwahati arc ready.

(b) No, Sir.

(c) Docs not arise.

बम्बई में महिलाओं के लिए चलाई गई विशेष यात्री गाड़ी की दुर्घटना

6801. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई में पश्चिम रेलवे के उपनगरीय सेक्शन में महिलाओं के लिए चलाई गई विशेष यात्री गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में हताहतों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या जांच प्रतिवेदन सरकार के समक्ष रखा गया है और यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में कौन से तथ्य प्रकाश में आए हैं;

(ङ) घायलों को तथा मृतकों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(च) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) जी नहीं, बहरहाल, 13.10.93 को पश्चिम रेलवे पर एक असामान्य घटना में, कुछ दैनिक यात्री, जो गाड़ी सं० 635 डाउन चर्चगेट विरार महिला विशेष गाड़ी से बाहर कूद गई थी, निकटवर्ती रेल पथ से गुजर रही एक अप लोकल गाड़ी से टकराकर कुचल गई थी. इस असामान्य घटना के फलस्वरूप, 24 महिला दैनिक यात्री और एक पुरूष वेन्डर मारा गया था. इसके अलावा, 6 व्यक्तियों को चोटें आयीं जिनमें से चार गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

(ग) और (घ) मध्य सर्किल के रेल संरक्षा आयुक्त इस घटना की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गाड़ी सं० 635 डाउन महिला विशेष गाड़ी की महिला दैनिक यात्री कुछ गैर-रेलवे व्यक्तियों द्वारा, जिनकी पहचान नहीं की जा सकी, आग लगने की झूठी खबर के बारे में कुछ गलत फहमी फैलाने और भगदड़ के कारण गाड़ी से कूद गई, उन्होंने इस घटना के लिए किसी भी रेल कर्मचारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया।

(ङ) मृतकों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के रूप में 1.38 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। रेल अधिनियम, 1989 की धारा 125 के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण में दायर किए गए क्षतिपूर्ति दावों का निर्णय अधिकरण के समक्ष दावाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। इसके बाद इस तरह से पारित क्षतिपूर्ति की डिगरियों का निपटान क्षेत्रीय रेलों द्वारा किया जाता है। इस मामले में, अभी तक न तो कोई दावा दायर किया गया है और न ही कोई डिगरी हुई है।

(च) रेल संरक्षा आयुक्त की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।